भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 710
दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीमा–पार तस्करी

710. **श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः**
श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित देश भर से विशेषकर बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमा–पार मानव तस्करी के शिकार लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश विशेषकर बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में सीमा–पार मानव तस्करी में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की वर्ष–वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) विगत पाचं वर्षों के दौरान सीमा–पार मानव तस्करी में संलिप्त होने के कारण अन्य देशों से भारत और विपरिततः प्रत्यर्पित किये गये विदेशी और भारतीय व्यक्तियों की सूची और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन भगोड़ों की सूची का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सीमा–पार तस्करी में संलिप्तता के लिए रेड कॉर्नर नोटिस लंबित हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने सीमा–पार मानव तस्करी के मुद्दे के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्यकलाप किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) से (ङ) विदेश मंत्रालय अन्य देशों में मानव तस्करी के मामलों के पंजीकरण से संबंधित आंकड़े नहीं रखता हैं। जब भी अवैध प्रवासन/मानव तस्करी की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के संगत कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है।

सभी देश सभी भारतीय निर्वासितों के विवरण साझा नहीं करते हैं; अत:, विदेश मंत्रालय के पास अन्य देशों से निर्वासित भारतीयों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, सीमा पार मानव तस्करी में संलिप्त होने के कारण भारत से निर्वासित विदेशियों से संबंधित में आंकड़े तथा सीमा पार तस्करी में संलिप्तता के कारण भगोड़ों के विरुद्ध लंबित रेड कॉर्नर नोटिसों से संबंधित आंकड़े भी मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तथा भारत से केवल वैध प्रवासन को प्रोत्साहित करती है। मंत्रालय विभिन्न हितधारकों को सुरक्षित और वैध प्रवासन के लाभों तथा फर्जी या अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से अवैध प्रवासन को रोकने के संभावित तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। अवैध एजेंटों के बारे में जानकारी भी ई–माइग्रेट पोर्टल पर नियमित आधार पर अपलोड और अद्यतन की जाती है।

मंत्रालय समय–समय पर फर्जी नौकरी रैकेट के बारे में परामर्शी, मीडिया ब्रीफिंग और ट्वीट भी जारी करता है। इस प्रकार की सूचनाएं विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया हैंडलों तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी जारी की जाती हैं।

जब भी अवैध प्रवासन/मानव तस्करी के मामले सामने आते हैं, तो संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों तथा भारत में स्थित उत्प्रवासी संरक्षण कार्यालयों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार ने समय–समय पर मेजबान सरकार के साथ राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है। ई–माइग्रेट पोर्टल पर 3,094 अपंजीकृत एजेंटों की सूची (अक्टूबर 2024 तक) अधिसूचित की गई है। यह जानकारी पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर नियमित रूप से अद्यतित की जाती है। इन शिकायतों को संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों को भी भेजा जाता है, ताकि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार अवैध/फर्जी एजेंटों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

जब भी ऐसे मामले मंत्रालय के संज्ञान में आते हैं, तो मंत्रालय विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों के माध्यम से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाता है।

*****